श्री प्रणव कुमार, भा0प्र0से0, सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–07.02.2025 को पूर्वाह्न 11.30 बजे ताराडीह (बोधगया) में थीम पार्क का निर्माण के संदर्भ में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पी0पी0टी0 प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

श्रीमती रचना पाटिल, भा0प्र0से0
निदेशक, पुरातत्व निदेशालय,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार।
सुश्री कहकशाँ
विशेष कार्य पदाधिकारी,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार।
श्री अनिल कुमार
कार्यपालक अभियंता,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार।
श्री अरविन्द कुमार तिवारी
सहायक अभियंता,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार।
श्री प्रदीप कुमार
वरीय वास्तुविद,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।
श्री अमर कुमार गौरव
योजना प्रबन्धक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।

कार्यवाही:–

- बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत गया जिलान्तर्गत बोधगया अवस्थित राजकीय सुरक्षित घोषित पुरास्थल ताराडीह में थीम पार्क के निर्माण हेतु कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना द्वारा चयनित परामर्शी धरोहर द्वारा पी0पी0टी0 प्रस्तुत किया गया।
- प्रस्तुतीकरण के क्रम में परामर्शी द्वारा ताराडीह उत्खनन की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया कि पुरास्थल पर उत्खनन से प्राप्त सांस्कृतिक अनुक्रम को कलानुक्रम में प्रतिकृति के माध्यम से उत्खनित क्षेत्र में ओरिएन्टेशन गैलेरी एवं इंटरप्रेटेशन सेंटर तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सुरक्षित घोषित क्षेत्र में दर्शकों के परिभ्रमण हेतु ग्रीड माध्यम से प्रस्तर खण्ड निर्मित अस्थाई पाथवे तैयार किया जाएगा,

ताकि भविष्य में यदि पुरास्थल पर उत्खनन कराने की आवश्यकता पड़ने पर सुगमता पूर्वक कार्य किया जा सके।

- इस संदर्भ में सचिव महोदय द्वारा उत्खनित क्षेत्र की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने की पृच्छा की गई। इसके आलोक में स्थिति स्पष्ट नही होने के कारण सचिव महोदय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि उत्खनित क्षेत्र में यदि स्थापत्य संरचना को भिन्न–भिन्न सांस्कृतिक स्तर (लेयर) को भी उत्खनित स्थल की साफ–सफाई कर प्रदर्शित किये जाने हेतु सम्बंधित प्रस्ताव को कार्य योजना में समाहित किया जाना बेहतर होगा। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि यदि बड़े भू–भाग में उत्खनित क्षेत्र द्रष्टव्य है तो उस क्षेत्र को संरक्षित करते हुए शेष भू–भाग को उद्यान के रुप में विकसित किया जा सकता है। इसी क्रम में सचिव महोदय द्वारा परामर्शी से ताराडीह पुरास्थल पर प्रस्तावित कार्य योजना के लिए प्राक्कलित राशि को कम करते हुए पुनः प्रशासी विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए संशोधित कार्य योजना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।
- उपरोक्त तथ्यों के आलोक में ताराडीह के विकास हेतु कराये जाने वाले कार्यों का आकलन किये जाने के सम्बंध में सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार द्वारा पुरातत्व निदेशालय को दिनांक 15.02.2025 के बाद स्थल परिभ्रमण हेतु तिथि निर्धारित करने का निदेश दिया गया है।

ह0/–
(प्रणव कुमार, भा0प्र0से0)
सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(पुरातत्व निदेशालय)

ज्ञापांक 5पुरा0/वि03–05/2021..105.../ पटना, दिनांकः 27/2/2025

प्रतिलिपिः– वरीय वास्तुविद/योजना प्रबन्धक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/विशेष कार्य पदाधिकारी (पुरातत्व)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक/वरीय तकनीकी

सहायक/सभी सहायक प्रशाखापदाधिकारी/उच्च वर्गीय लिपिक/निम्न वर्गीय लिपिक, पुरातत्व निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.2.25

(रचना पाटिल, भा0प्र0से0)
निदेशक, पुरातत्व, बिहार ।